Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in Compliance to order dated 04.10.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 423/2023 Shyam Bihari Lal Saxena Vs State of Uttar Pradesh.

The Hon'ble NGT has passed an order dated 04.10.2023 in O.A. No. 423/2023 Shyam Bihari Lal Saxena Vs State of Uttar Pradesh. The operative portion of the order is as under:--

"------9. In the facts and circumstances of the case respondents no. 1, 3 and 4 are given opportunity to file response as to why in view of violation of siting criteria respondent no.4 owner of brick kiln be not directed to relocate the brick kiln in compliance with the siting criteria laid down in Uttar Pradesh Brick kilns (Siting Criteria For Establishment) Rules, 2012within period to be specified and in case of its failure to do so why the brick kiln be not demolished and why the land underneath the same be not restored for some other permissible use.

10. Response by Respondents no. 1 to 4 be filed within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

11. Since in the present case environmental compensation has already been imposed on respondent no. 4 which has remained unrealized, the bricks lying in the brick kiln are attached as security for realization of the amount of environmental compensation imposed on respondent no. 4 and in case of failure of respondent no. 4 to deposit the same the amount of environmental compensation shall be liable to recovered by sale of the bricks so attached.

12. District Magistrate and Superintendent of Police, Kasganj are directed to take requisite steps for attachment of bricks lying in the brick kiln.

13. List for further consideration on 11.01.2024."

14. A copy of this order be sent to the Member Secretary, UPPCB, District Magistrate Kasganj and Superintendent of Police, Kasganj by email for requisite compliance."

1. The closure order under section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended has been issued by U.P. Pollution Control Board against M/s M.S. Ent Udyog, Vill.- Sunhara, Thana-Sidhpura, Tehsil-Patiyali, District- Kasganj. vide letter No.-H82595 dated 30-09-2022 The copy of the same was also endorse to the District Magistrate, Kasganj, Mining Officer, Kasganj & Apar Mukhya Adhikari Jila Panchayat, District-Kasganj for the compliance of the Closure Order. The copy is enclosed as **Annexure-I**

2. The committee during its inspection on 18.01.2023 found that M/s M.S. Ent Udyog, Vill.-Sunhara, Thana-Sidhpura, Tehsil- Patiyali, District- Kasganj was in operation in violation to the closure order passed by State Pollution Control Board hence the

committee ensured the closure of the brick kiln on 18.01.2023. The copy of the compliance of the closure order is enclosed as **Annexure-II**

3. The Regional Office, UPPCB Aligarh has informed that the brick kiln M/s M.S. Ent Udyog, Vill.- Sunhara, Thana-Sidhpura, Tehsil-Patiyali, District- Kasganj was started on 12.01.2023 in violation to the closure order and has recommended to impose Environmental compensation for 07 days violation. Hence the Environmental compensation of Rs. 1,75,000/- has been imposed against the brick kiln M/s M.S. Ent Udyog, Vill.- Sunhara, Thana-Sidhpura, Tehsil-Patiyali, District-Kasganj.
4. The brick kiln M/s M.S. Ent Udyog, Vill.- Sunhara, Thana-Sidhpura, Tehsil-Patiyali, District- Kasganj has deposited the Environmental compensation of Rs. 1,75,000/- (Rs. One Lac Seventy Five Thousand only) in the dedicated account of Uttar Pradesh Pollution Control Board. The copy of the confirmation letter is enclosed as **Annexure-III**
5. The Regional Office, UPPCB, Aligarh has again recommended vide its letter dt. 16.08.2023 to impose Environmental compensation of Rs. 9,87,500/- for the violation of closure order and the show cause notice for imposing the Environmental compensation on M/s M.S. Ent Udyog, Vill.- Sunhara, Thana-Sidhpura, Tehsil- Patiyali, District- Kasganj was issued vide Board letter dt. 01.11.2023 and no satisfactory reply was received so the Environmental compensation of Rs. 9,87,500/- has been imposed by Board vide letter dt. 08.01.2024 and directed to deposit the imposed Environmental compensation within 15 days. The copy of the letter dt. 08.01.2024 is enclosed as **Annexure-IV**
6. The latest inspection of brick kiln M/s M.S. Ent Udyog, Vill.-Sunhara, Thana-Sidhpura, Tehsil- Patiyali, District- Kasganj was done by the officials of U.P. Pollution Control Board on 27.12.2023 and during inspection it was found that the trench of the brick kiln was empty and no person was present at the site. The nearby villagers informed that this brick kiln is completely closed. The copy of inspection report is enclosed as **Annexure-V**
7. Earlier Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh has issued directions vide letter no 582/81-7-2021-39 (Parya)/2014 TC-1 dated 08.07.2021 to all DM, SSP, SP and Police commissioner of Uttar Pradesh regarding effective actions against the defaulters brick kiln operator in the State. The copy of the order enclosed as **Annexure-VI.**

The above response is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

ALIGARH

DATED:

Regional Officer
UPPCB

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्याः H82595/सी–4/ईंट–1072/बन्दी आदेश/2022, दिनांक : 30-9-22

मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग,
धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा,
तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज।

मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 20.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री शिवपाल सिंह (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित ईंट भट्ठा से सटा हुआ लगभग–15 बीघा आम का बाग स्थिति है। संदर्भित ईट भट्टा स्थल से पूरब दिशा में लगभग–200 मी0 दूरी पर पूर्व से स्थापित मै0 एम0के0जी0 ईट भट्ठा, तत्पश्चात् लगभग–1.10 कि0मी0 दूरी पर ग्राम–निबउआ, पश्चिम दिशा में लगभग–200 मी0 दूरी पर मै0 बालाजी ईंट उद्योग तत्पश्चात् आम का बाग, उत्तर दिशा में लगभग–60 मी0 दूरी पर धूमरी–सिढ़पुरा मार्ग तत्पश्चात् लगभग–570 मी0 दूरी पर ग्राम–भुजपुरा, दक्षिण दिशा में लगभग–1.10 कि0मी0 दूरी पर ग्राम–लौंगपुर, उत्तर–पूरज दिशा में लगभग–350 मीटर दूरी पर ग्राम–सलुपुरा, उत्तर–दक्षिण दिशा में लगभग–380 मी0 दूरी पर सुबेदार महिपाल शिक्षा निकेतन स्कूल तत्पश्चात् लगभग–990 मी0 दूरी पर ग्राम–नगला भुजपुरा तथा पश्चिम–दक्षिण दिशा में लगभग–970 मी0 दूरी पर ग्राम–भीखपुर स्थित है, जो 2012 की नियमावली के विरूद्ध है। आख्यानुसार प्रश्नगत ईंट भट्ठे की स्थापना राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गयी है एवं बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

"....21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......"

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–1523/केएम–630/2022, दिनांक 22.08.2022 द्वारा प्रेषित ईंट भट्ठे की निरीक्षण आख्या में प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्ठा मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

ADE/12.6

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे के की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईंट पथाई फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा संचालित ईंट पथाई एवं फुंकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

11-10-22

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

14.10.22

संलग्नक-2

बन्दी आदेश का अनुपालन

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H82595/सी-4/ई/1072/बंदी आदेश/2022 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा मै० एम०एस० ईंट उद्योग धमरी रोड रसूलपुर शुजनपुरा शिकपुरा तह० पटियाली जनपद कासगंज को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन उपजिलाधिकारी पटियाली के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 18.01.23 किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के प्रतिनिधि के रूप में श्री श्री किशन (मुनीम) उपस्थित थे। उक्त ईट भट्ठे का संचालन दिनांक 18.01.23 को बन्द करा दिया गया है। बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्ठे के प्रतिनिधि श्री श्री किशन (मुनीम) को एवं सम्बन्धित थाना सिढपुरा के प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी मो.नं. 9455440322 60 को प्राप्त करा दी गयी है।

श्री किशन
श्री किशन (मुनीम)

जितेन्द्र कुमार शर्मा
प्रयोगशाला सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
अलीगढ़

रामखिलाड़ी
कोडिंग प्रभारी
पटियाली कासगंज

देवेन्द्र कुमार त्यागी
थानाध्यक्ष सिढपुरा
पटियाली कासगंज

उपजिलाधिकारी
पटियाली कास०

संलग्नक-3

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक: 1665/KM-630/2023 दिनांक 22/11/2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– **मै0 एम0एस0 ईट उद्योग, घूमरी रोड, ग्राम सुनहरा, रसूलपुर, सिढपुरा, तहसील पटियाली, जनपद कासगंज के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच89110/सी–4/ईट–1072/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक 14.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठे को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,75,000.00 (रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 1,75,000.00 को ईट भट्ठे द्वारा दिनांक 18.11.2023 को बोर्ड मुख्यालय के खाता संख्या–2104 में जमा किया गया है, जिसकी पावती की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय
(डा0 जे0बी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवष्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571 2743521

STATEMENT OF ACCOUNT

DATE: 18-11-23 10:36:45 AM

CANARA BANK Account Branch	293 SIDHPURA 207245
IFSC	CNRB0000293
MICR	207015136
Account No.	120000598403
Product Name	CURRENT ACCOUNT - GENERAL
Customer ID	307878882
Customer Name	MS ENT UDHYOG
Address	SUNAHARA BHUJPURA PATIYALI SIDHPURA KANSHIRAMNAGAR UTTAR PRADESH IN 207245
Nominee Reference num	
Nominee Name	
Account Title	MS ENT UDHYOG
Joint Holders/Authorised Person's Name	SURESH CHANDRA

Period	18-11-2023 To 18-11-2023
Nomi. Currency	INDIAN RUPEES
Swift code	CNRBINBBBFD

TRANS DATE	VALUE DATE	BRANCH	REF/CHQ.NO.	DESCRIPTION	WITHDRAWS	DEPOSIT	BALANCE
18-NOV-23	18-NOV-23	0		B/F	0.00	186,366.00	186,366.00
18-NOV-23	18-NOV-23	293	00044553[illegible]727	NEFT DR P32223028181888 UBIN0570150-UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD ALIGARH	175,000.00	0.00	11,366.00
18-NOV-23	18-NOV-23	293		NEFT SC	18.00	0.00	11,348.00

Statement Summary :-

Opening Balance	Total Debit Amount	Total Credit Amount	Debit Count	Credit Count	Closing Balance	Unclear Balance	Sweep-in Balance as on 18-11-23 10:36:45 AM
186,366.00	175,018.00	0.00	2	0	11,348.00	0.00	0.00

UNLESS THE CONSTITUENT BRINGS TO THE NOTICE OF THE BANK ANY DISCREPANCIES / OMMISSION/ERRORS/ UNAUTHORISED DEBITS IMMEDIATELY,
THE ENTRIES IN SUCH PASS SHEET SHALL BE DEEMED AS CORRECT AND SHALL BIND THE CONSTITUENT FOR ALL PURPOSE AND INTENTS.
BEWARE OF PHISHING ATTACKS THROUGH EMAILS AND FAKE WEBSITES.

IMB FACILITY USERS ARE REQUESTED TO NOTE THAT CANARA BANK DOES NOT SEEK ANY INFORMATION THROUGH EMAIL. DO NOT CLICK ON ANY LINK
WHICH HAS COME THROUGH EMAIL FROM UNEXPECTED SOURCES. IT MAY CONTAIN MALICIOUS CODE OR COULD BE AN ATTEMPT TO PHISH.
ALWAYS LOGIN THROUGH WWW.CANARABANK.IN. PLEASE BEWARE OF PHISHING.
CHANGE IN THE ADDRESS OF ACCOUNT HOLDER/PA HOLDER, IF ANY, MAY PLEASE BE INFORMED TO THE BRANCH ALONG WITH ADDRESS PROOF.

"DO NOT SHARE ATM PIN NUMBER, ACCOUNT DETAILS, OTP TO OUTSIDERS, EMAILS ETC"

संलग्नक-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक H05307/सी–4/ईट–1072/पर्या०क्षति०/2023 दिनांक 8-1-24

सेवा में,

मै० एम०एस० ईंट उद्योग,
ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढपुरा, तहसील–पटियाली,
जनपद–कासगंज

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच82595/सी–4/ईट–1072/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से मै० एम०एस० ईंट उद्योग, ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढपुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०–837/2022 सुन्तेरा सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री किशन (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईंट भट्ठा स्थल उ०प्र० शासन द्वारा जारी उ०प्र० ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड के पत्रांक–एच89110/सी–4/ ईट–1072/पर्या०क्षति०/2023, दिनांक 14.02.2023 द्वारा संदर्भित ईंट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 25,000/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 12.01.2023 से दिनांक 18.01.2023 तक कुल 07 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 1,75,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ के पत्रांक–1081/केएम–630/2023, दिनांक 16.08.2023 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सुनवाई में प्राप्त आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ का पत्रांक–980, दिनांक 08.07.2023 के अनुसार दिनांक 07.04.2023 को प्रशासनिक टीम एवं खनन अधिकारी द्वारा ईंट भट्ठा मै0 बालाजी ईंट उद्योग, ग्राम–भुजपुरा, परगना–सिढपुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज एवं मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढपुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज को पूर्णतयाः बन्द करा दिया गया था। वर्तमान समय में दोनों ईंट भट्ठे पूर्णतयाः बन्द है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 16.08.2023 में संदर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 19.01.2023 से दिनांक 07.04.2023 तक कुल 79 दिन को उल्लंघन दिवसो हेतु कुल रू0 9,87,500/– की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की पुनः संस्तुति की गई है, जिसके अनुक्रम में बोर्ड के पत्रांक–एच02527/सी–4/ईट–1072/का0ब0नो0–पर्या0क्षति0/2023, दिनांक 01.11.2023 द्वारा मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढपुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड के पूर्व पत्र दिनांक 14.02.2023 के माध्यम

से अधिरोपित की गई धनराशि रू0 1,75,000/– को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित करते हुए, दिनांक 19.01.2023 से दिनांक 07.04.2023 तक कुल 79 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 9,87,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका कोई प्रतिउत्तर बोर्ड मुख्यालय में प्राप्त नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ द्वारा पत्रांक–1665/के0एम0–630/2023, दिनांक 22.11.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 1,75,000/– को राज्य बोर्ड के खाते में दिनांक 18.11.2023 को जमा किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–423/2023 श्याम बिहारी लाल सक्सेना बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 को करते हुए पत्रांक–2018/के0–630/2023, दिनांक 30.12.2023 के माध्यम से निरीक्षण आख्या प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध के विरूद्ध दिनांक 01.11.2023 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ से प्राप्त प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 30.12.2023 के अनुक्रम में मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 19.01.2023 से 07.04.2023 तक कुल 79 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 9,87,500/– (रूपये नौ लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 9,87,500/– (रूपये नौ लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

9412658045

संलग्नक-5

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

त्रांक- 2018/KA-630/2023 दिनांक- 30.12.23

वा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

षयः माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-423/2023 श्याम बिहारी लाल सक्सेना बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 04.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम-सुनहरा, थाना, सिढपुरा, तहसील-पटियाली, जनपद-कासगंज की अद्यतन निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

होदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया। कार्यालय भिलेखनुसार ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-एच82595 दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से बन्दी ादेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। बन्दी आदेश का अनुपालन उपजिलाधिकारी पटियाली, ानाध्यक्ष-सिढ़पुरा की उपस्थिति में फायर विभाग द्वारा पानी डालकर दिनांक 18.01.2023 को बन्द करा दिया गया था। र्तमान में उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई ल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 की अग्रिम नियत सुनवाई दिनांक 11.01.2024 नियत है।

उपरोक्त पारित आदेश एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 1.11.2023 को जारी कारण बताओ नोटिस एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच89110 दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से ट भट्ठे को जारी पत्र को संज्ञानित करते हुए नियमानुसार पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1081 दिनांक 16.08.2023 े माध्यम से प्रेषित आख्या (छायाप्रति संलग्न) को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित अधिरोपित किये ाने तथा ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईंट भट्ठे को पूर्ण रूप से बन्द रखने सम्बन्धी अनुरोध जेलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, कासगंज से किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने एवं पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 े सम्बन्ध में अन्य आवश्यक मार्गदर्शन बोर्ड मुख्यालय से स्तर प्राप्त किये जाने हेतु निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न र आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

तिलिपिः-मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या की प्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–423/2023 श्याम बिहारी लाल सक्सेना बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 04.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में ईंट भट्ठे की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के सन्दर्भ में ईट भट्ठा मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट –सुनहरा, थाना–सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.12.2023 को किया गया। कार्यालय अभिलेखों एवं निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। ईंट भट्ठे के संचालन के सम्बन्ध में कोई भी कार्य होता हुआ नहीं पाया गया।
2. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थल एवं ऑफिस में कोई भी व्यक्ति उपस्थित नही था। ईट भट्ठे के पास उपस्थित ग्रामवासियों से वार्ता की गयी, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठा पूर्ण रूप से बन्द है तथा ईट भट्ठे पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नही है।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के आस–पास कोई पकी हुई ईट एकत्रित नही पायी गयी है। ईट भट्ठे की ट्रंच का अधिकांश भाग खाली पाया गया।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे पर कोई प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण पथाई एवं फुकाई सम्बन्धित कोई भी जानकारी प्राप्त नही हो पायी। उक्त ईट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन है, जिस पर समय–समय पर सुनवायी की जा रही है।
5. ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच82595 दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। बन्दी आदेश का अनुपालन उपजिलाधिकारी पटियाली, थानाध्यक्ष–सिढ़पुरा की उपस्थिति में फायर विभाग द्वारा पानी डालकर दिनांक 18.01.2023 को बन्द करा दिया गया था।

6. कार्यालय अभिलेखानुसार बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच02527 दिनांक 01.11.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एच03343 दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट –सुनहरा, थाना–सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 19.01.2023 से दिनांक 07.04.2023 तक कुल 79 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 9,87,500/– (रूपये नौ लाख सत्तासी हजारी पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायें। उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि करते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में ईट भट्ठा मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट –सुनहरा, थाना–सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित के रूप में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–89110/सी–4/ईट–1072/पर्या0क्षति0/2023, दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 1,75,000/– (रूपये एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता संख्या–701502010002104 IFCS Code UBINO570150 में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करें।

7.

8\. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच03342 दिनांक 28.11.2023 एवं पत्र संख्या–एच03343 दिनांक 28.1 के सम्बन्ध में वांछित सूचना कार्यालय के पत्र संख्या–1665 दिनांक 22.11.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 1,75,000/– को जमा करने की सूचना पावती एवं अन्य साक्ष्य के साथ प्रेषित की गयी है तथा अभियोजनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या–1959 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से आख्या बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की जा चुकी है, (छायाप्रति संलग्न)।

9\. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–423/2023 श्याम बिहारी सक्सेना बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है–

1. The grievance in this present application is regarding operation of Brick Klin M/s M.S. Int Udyog llegally in violation of environmental norms and closure order.
2. Vide order dated 01.08.2023, notices were ordered to be issued to the respondents and a Joint Committee was constituted to verify the factual position and submit factual and action taken report.
3. As per office report notices were served on respondents no. 1 to 3 by email. Notice was served on respondent no.4- M/s M.S. Int Udyog by speed post. As per tracking report downloaded from the website of India Post the same was duly delivered to respondent no. 4- M/s M.S. Int Udyog on 30.08.2023.
4. None has appeared for respondents no. 1, 3 and 4.
5. Report of the Joint Committee has been filed vide email dated 11.09.2023.
6. We have gone through the report of the Joint Committee, in its report the Joint Committee has entioned that closure order has been issued against the project proponent by UPPCB which has also imposed environmental compensation of Rs. 1,75,000/- vide order dated 14.02.2023 and Rs. 9,87,500/- vide order dated 16.08.2023 on the project proponent.
7. Generally, speaking from such report regarding issuance of closure order and orders for imposition of environmental compensation by UPPCB, it would ex facie appear that no further action is required to be taken by this Tribunal for protection of environment but the harsh reality of non implementation of such orders requires further consideration and issuance of appropriate directions for taking of such remedial steps which are mandatorily required to be taken in such cases.
8. In the present case, closure order was issued by Chief Environment Officer, Circle 4 on 30.09.2022. Much thereafter the brick kiln was visited by the Joint Committee on 25.08.2023 and 04.09.2023 and the brick kiln was found operational and 15 lakh bricks were found to have been stored. Closure order has been issued against the brick kiln on the ground of violation of siting criteria laid down in Uttar Pradesh Brick kilns (Siting Criteria For Establishment) Rules, 2012. The issuance of closure order issued by UPPCB has remained ineffective and is virtually of no significance so far as protection of the environment is concerned, UPPCB has miserably failed to ensure ground level implementation of its orders and even realization and utilization of environmental compensation for restoration of the environment.
9. In the facts and circumstances of the case respondents no. 1, 3 and 4 are given opportunity to file response as to why in view of violation of siting criteria respondent no.4 owner of brick kiln be not directed to relocate the brick kiln in compliance with the siting criteria laid down in Uttar Pradesh Brick kilns (Siting Criteria For Establishment) Rules, 2012within period to be specified and in case of its failure to do so why the brick kiln be not demolished and why the land underneath the same be not restored for some other permissible use.
10. Response by respondents no. 1 to 4 be filed within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
11. Since in the present case environmental compensation has already been imposed on respondent no. 4 which has remained unrealized, the bricks lying in the brick kiln are attached as security for realization of the amount of environmental compensation imposed on respondent no. 4 and in case of failure of respondent no. 4 to deposit the same the amount of environmental compensation shall be liable to recovered by sale of the bricks so attached.

12. The District Magistrate and Superintendent of Police ... for attachment of bricks lying in the brick kiln.
13. List for further consideration on 11.01.2024.
14. A copy of this order be sent to the Member Secretary, UPPCB, District Magistrate Kasganj and Superintendent of Police, Kasganj by email for requisite compliance.

उपरोक्त पारित आदेश एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 01.11.2023 को जारी कारण बताओ नोटिस एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच89110 दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी पत्र को संज्ञानित करते हुए नियमानुसार पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1081 दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से प्रेषित आख्या (छायाप्रति संलग्न) को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित अधिरोपित किये जाने तथा ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईंट भट्ठे को पूर्ण रूप से बन्द रखने सम्बन्धी अनुरोध जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, कासगंज से किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने एवं पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक मार्गदर्शन बोर्ड मुख्यालय से स्तर प्राप्त किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक

(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

संलग्नक-6

संख्या–582 / 81–7–2021–39(पर्या) / 2014 टी0सी0–1

VI

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्ध नगर / लखनऊ / कानपुर / वाराणसी।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

3– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2021

विषय–प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्ठों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–970 / 81–7–2019–39(पर्या) / 2014 टी.सी.–1, दिनांक 21.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईंट भट्ठों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईंट भट्ठा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति / अनापत्ति / लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्यकर के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुज्ञप्ति / अनापत्ति / लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों का संचालन निषिद्ध कराये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईंट भट्ठों के विरूद्ध बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत आदेश संख्या–303 / 81–7–2021–39(पर्या) / 2014 टी0सी0–1, दिनांक 15.03.2021 द्वारा समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये है।

2– अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयारी की गयी इन्वेन्ट्री के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुल 19395 ईंट भट्ठा उद्योग स्थापित है। ईंट भट्ठों की स्थापना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थलों पर सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–921 / 55–पर्या / 12–(पर्या)–11 दिनांक 27.06.2012 द्वारा उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के नियम–3 मे उपबन्धित है कि "ईंट भट्ठा की फुँकाई के संबंध में अथवा खनन पट्टों के लिए जिला पंचायत / सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी

जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गई हो''।

3— माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0—3709(एम0बी0) /2010 दीनानाथ शुक्ला बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में ईट भट्टों के संबंध में दिनांक 26.04.2010 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :—

"............We, therefore, decline to entertain the petition, as there is nothing on record to indicate that the brick kiln is runing or is likely to run without of obtaining the 'no objection certificate' from the U.P. Pollution Control Board and the necessary licence from the Zila Panchayat as argued by the counsel for the petitioner. It is for the district magistrate and the police to see that no brick kiln is allowed to run in the absence of 'no objection certificate, of the U.P. Pollution Control Board and necessary licence of the Zila Panchayat, including the present brick kiln and if any complaint is made in this regard or even if it comes to knowledge of the authorities otherwise, appropriate action has to be taken by the district authorities ...."

4— राज्य में अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे ईट भट्ठों की सूची उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट (http://www.uppcb.com/status_brick_klin.htm) पर उपलब्ध है। अतः यह आवश्यक है कि ईंट भट्ठा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति / अनापत्ति / लाइसेंस जारी करने वाले राज्य सरकार के समस्त विभाग ईंट भट्ठों को अग्रेतर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति / लाइसेंस / अनापत्ति तब तक जारी न करे जब तक ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त न कर लें तथा ऐसे ईट भट्ठें जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं हैं, उनका संचालन तत्काल प्रभाव से निषिद्ध किया जाये।

5— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईंट भट्ठों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ऐसे ईंट भट्ठें जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति / अनापत्ति / लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति / अनापत्ति / लाइसेन्स निर्गत न किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—582(1) / 81—7—2021—39(पर्या) / 2014 टी0सी0—1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायती राज / संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन / भूतत्व एवं खनिकर्म / गृह / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

3. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ / प्रयागराज।
4. आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(भारत प्रसाद)
उप सचिव।